

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)

प्रश्न- आरईएचएस किसके लिए लागू होता है?

उत्तर- यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो इस योजना का चयन करते हैं:

- सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति / पत्नी
- मृतक कर्मचारी का पति / पत्नी
- मृतक कर्मचारी के पात्र बच्चे, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक

प्रश्न- किस अवधि में आरईएचएस को पंजीकरण करना चाहिए?

उत्तर- सेवानिवृत्ति / मृत्यु के तीन महीने के भीतर।

प्रश्न- मैं इनडोर उपचार कहां ले सकता हूं?

उत्तर- निम्नलिखित में से किसी भी अस्पताल में इनडोर उपचार लिया जा सकता है:

- (i) निगम का अस्पताल
- (ii) सरकारी अस्पताल
- (iii) पैनलबद्ध अस्पताल / अनुमोदित अस्पताल

प्रश्न- मुझे अनुमोदित अस्पतालों की सूची कहां मिल सकती है?

उत्तर- पैनलबद्ध / अनुमोदित अस्पतालों की सूची एनएचपीसी के वेबसाइट के 'आरईएचएस कर्मचारी' कॉर्नर में उपलब्ध है अर्थात् <http://www.nhpcindia.com>.

प्रश्न- अस्पतालों को पैनलबद्ध से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर- अस्पतालों के पैनलबद्ध से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, मानव संसाधन विभाग, निगम मुख्यालय, फोन नंबर 0129-2588568 ।

प्रश्न- किसी अनुमोदित/ अधिसूचित / पैनलबद्ध अस्पताल में इनडोर उपचार लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर- यह सलाह दी जाती है कि किसी अनुमोदित/ अधिसूचित / पैनलबद्ध अस्पताल में इनडोर उपचार लेने से पहले व्यक्ति को एनएचपीसी की वेबसाइट पर जाना चाहिए और अस्पताल की पैनलबद्ध अवधि, इसकी आईटी छूट वैधता और आवास का हकदारी का पता लगाने के लिए आरईएचएस सेल, निगम मुख्यालय या मानव संसाधन विभाग, निगम मुख्यालय या चिकित्सा सेवाएं विभाग, निगम मुख्यालय से संपर्क करना चाहिए।

प्रश्न- इनडोर ट्रीटमेंट लेने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर- इनडोर उपचार लेने के लिए:

पैनलबद्ध / अनुमोदित अस्पताल (सीधे भुगतान के बिना): सीधे इन अस्पतालों में जाएं और संबंधित व्यक्ति द्वारा वहां भुगतान करके इनडोर उपचार प्राप्त करें और प्रतिपूर्ति के लिए दावा करें।

पैनलबद्ध अस्पताल (सीधे भुगतान): योजना के निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राधिकृत पत्र प्राप्त करें। अस्पताल को प्राधिकार पत्र का प्रस्तुत करें और भर्ती हो जाएं। संबंधित अस्पताल बिल को सीधे एनएचपीसी के पास भेजेगा।

प्रश्न- क्या बाहरी उपचार के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई वार्षिक सीमा है?

उत्तर- हां, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा, समकक्ष स्थिति / रैंक के एक सेवारत कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम के बराबर है।

प्रश्न- वार्षिक सीमा के ऊपर आउटडोर चिकित्सा व्यय की प्रक्रिया / प्रावधान क्या हैं?

उत्तर- दीर्घकालिक बीमारियों के लिए ओपीडी उपचार पर वार्षिक सीमा से परे चिकित्सा खर्चों को दीर्घकालिक उपचार के लिए इसकी आवश्यकता को समझाकर दावा किया जा सकता है। दावा

एनएचपीसी की चिकित्सा रियायत समिति द्वारा विचार के लिए आरईएचएस सेल, एनएचपीसी को भेजा जाएगा। समिति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योग्यता के आधार पर मामले के लिए सिफारिश पर विचार करेगी।

प्रश्न- इनडोर उपचार के लिए मुझे कितनी प्रतिपूर्ति मिलेगी?

उत्तर- प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दी जाएगी:

(i) सीधे भुगतान योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में लिया गया उपचार: स्वीकार्य राशि पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होगी। यदि, एनएचपीसी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर उपचार किया जाता है, तो अस्पताल बिल को सीधे एनएचपीसी को भेज देगा।

(ii) उन अस्पतालों में लिया गया उपचार जो सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत नहीं हैं: यदि अस्पताल के पास आईटी छूट प्रमाण पत्र है, तो स्वीकार्य राशि पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी और यदि आईटी छूट प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूर्ति की गई राशि को कर योग्य आय के रूप में विनियमित किया जाएगा, जिसे पास किए गए प्रतिपूर्ति दावे से काट ली जाएगी।

(iii) अनुमोदित अस्पतालों में लिया जाने वाला उपचार: होली फैमिली अस्पताल / बत्रा अस्पताल / ऐम्स, नई दिल्ली की दरों के अनुसार बिलों की प्रतिपूर्ति सीमित होगी।

प्रश्न- मुझे ओपीडी / आईपीडी प्रतिपूर्ति के लिए किसको दावा प्रस्तुत करना चाहिए?

उत्तर- लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा परियोजना / पावर स्टेशनों / इकाई / कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए, जहां से कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प चुना था।

निगम मुख्यालय के लिए, प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रबंधक (वित्त), आरईएचएस सेल, निगम मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न- आईपीडी दावों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज क्या हैं?

उत्तर- (i) डिस्चार्ज प्रमाण पत्र

(ii) अस्पताल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित अस्पताल के पक्ष में आयकर अधिकारियों द्वारा जारी आयकर छूट प्रमाण पत्र की प्रति। (अन्यथा प्रतिपूर्ति राशि को कर योग्य आय के रूप में विनियमित किया जाएगा)

(iii) चिकित्सा पहचान पत्र की फोटोकॉपी, अस्पताल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई जो उस रोगी के नाम और फोटो की पहचान करती है जिसने उपचार किया है।

(iv) यदि कुछ दवाएं बाहर बाजार से खरीदी गई थीं (अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण), कैश मेमो को अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

(v) जहां भी ब्लड बैंक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन / ब्लड खरीदा गया था, ब्लड बैंक से आवश्यक कैश मेमो संलग्न किया जाना चाहिए।

प्रश्न- ओपीडी के दावों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज क्या हैं?

उत्तर (i) दावा डॉक्टर के पर्चे के साथ परामर्श और इंजेक्शन शुल्क के लिए रसीद, दवाओं की खरीद के लिए कैश मेमो, पैथोलॉजिकल परीक्षण, एक्स-रे आदि, यदि कोई हो, के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं से कैश रसीद प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ii) 10 दिनों से अधिक समय के लिए खरीदे गए दवाओं के मामले में दीर्घकालिक उपचार प्रमाणपत्र ।

प्रश्न- ओपीडी बिल जमा करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर- उपचार पूरा होने के बाद तीन महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न- मुझे अपनी प्रतिपूर्ति किस मोड से प्राप्त होगी?

उत्तर- भुगतान आरटीजीएस / एनईएफटी / ईसीएस के माध्यम से आरईएचएस सेल के साथ पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।

प्रश्न- प्रस्तुत किए गए बिल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, प्रतिपूर्ति की राशि, कटौती / सीमित के कारण या अन्य बिल से संबंधित जानकारी के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर- प्रस्तुत बिलों से संबंधित प्रश्नों के लिए, प्रतिपूर्ति की राशि, कटौती / सीमित के कारण या अन्य बिल संबंधी जानकारी के लिए आरईएचएस सेल, निगम मुख्यालय से फोन नंबर 0129-2588908 पर संपर्क कर सकते हैं।

FAQs

Retired Employees' Health Scheme (REHS)

Q. To whom the REHS is applicable?

Ans. The Scheme is applicable to following employees who opt for the scheme:

- Retired Employees and his/her spouse • Spouse of deceased employee
- Eligible Children of deceased employee till the date of superannuation of the employee.

Q. Within what period one should register for the REHS?

Ans. Within three months of his / her retirement/death.

Q. Where can I take indoor treatment?

Ans. Indoor treatment can be taken in any of the following hospitals:

- (i) Corporation's Hospital(s)
- (ii) Government Hospitals
- (iii) Empanelled Hospitals [Approved Hospitals]

Q. Where can I get list of approved hospitals?

Ans. The list of Empanelled / Approved hospitals is available in the 'REHS Employees' corner of NHPC'S website i.e. <http://www.nhpcindia.com>

Q. Whom should I contact for any query related to empanelment of hospitals?

Ans. For any query related to empanelment of hospitals, one can contact HR Department, C.O. at Phone No. 0129-2588568.

Q. What should I do to take indoor treatment in an Approved / Notified / Empanelled Hospital?

Ans. It is advised that before taking indoor treatment in Empanelled/ Approved Hospital one should visit NHPC's website i.e. <http://www.nhpcindia.com> and contact REHS Cell, C.O. or HR Department, C.O. or Medical Services Division, C.O. for ascertaining the empanelment period of the hospital, its IT exemption validity and entitlement of the accommodation.

Q. What is the procedure for taking indoor treatment?

Ans. For taking indoor treatment in:

- Empanelled/ Approved hospitals (Without direct Payment): Directly go to these hospitals and can get indoor treatment by making payment by the individual concerned and there after claim for reimbursement.
- Empaneled hospital (direct payment): Apply for issuing Authority Letter in the prescribed form (enclosed) of the scheme and get the authority letter issued from the authorised signatory. Produce the authority letter to the hospital and get admitted. The concerned hospital would raise the bill directly to NHPC.

Q. Is there any annual ceiling for reimbursement of expenditure incurred for outdoor treatment?

Ans. Yes, the ceiling for reimbursement of expenditure incurred during a financial year is equivalent to the maximum of the pay scale of a serving employee of equivalent status/rank.

Q. What is the procedure I provisions of outdoor medical expenditure above annual ceiling?

The medical expenses of beyond the annual ceiling on OPD treatment for chronic diseases can be claimed by explaining its necessity for long term treatment. The claim shall be sent to REHS Cell, NHPC for consideration by Medical Relaxation Committee of NHPC. The Committee shall consider for recommendation on case to case basis on merit for approval of Competent Authority.

Q. How much reimbursement will I get for the indoor treatment?

Ans. Reimbursement will be given as under:

- (i) Treatment taken in Empanelled Hospitals under Direct Payment Scheme. Admissible amount shall be fully reimbursable. In case treatment is taken on submitting Authority letter issued by NHPC, the hospital would raise the bill directly to NHPC.
- (ii) Treatment taken in Hospitals which are not under Direct Payment Scheme: If the hospital has valid IT Exemption certificate, admissible amount shall be fully reimbursed and in case IT Exemption certificate is not available, the reimbursed amount shall be regulated as taxable income & applicable tax shall be deducted from the reimbursement claim passed.
- (iii) Treatment taken in approved Hospitals: Reimbursement of bills will be restricted as per rates of Holy Family Hospital/ Batra Hospital / AIMS, New Delhi.

Q. To whom should I submit the claim for OPD/IPD reimbursement?

Ans. The beneficiary should submit his / her claim for reimbursement in the prescribed form (enclosed) to the Project / Power Stations / unit / Office from where the employee opted to avail post-retirement medical reimbursement.

For Corp. Office, claim for reimbursement is to be submitted to Manager (Finance), RE-HS cell, C.O.

Q. What are documents to be attached along with IPD claims?

Ans. Discharge Certificate

(ii) Copy of Income Tax exemption certificate issued by Income Tax authorities in favour the hospital duly certified by the Hospital Authority. (Otherwise reimbursed amount shall be regulated as taxable inc)ome

(iii) Photocopy of the medical identity card duly certified by the Hospital Authority identifying the name & photograph of the patient who has taken treatment.

(iv) In case some medicines were purchased from outside Market(due to no-availability in the hospital), the cash memo should be countersigned by the resident doctor of the hospital.

(v) Wherever blood transfusion/ blood was purchased from blood bank, necessary cash memo from blood bank should be attached.

Q. What are documents to be attached along with OPD claims?

Ans. (i) Claim should be submitted along-with prescription from doctor, receipt for consultation and injection fees, cash memo for purchase of medicines, cash receipts from clinical laboratories for pathological test, X-ray etc if any.

(ii) Prolonged treatment certificate in case of medicines were purchased for more than 10 days.

Q. What is the time limit for submission of OPD bills?

Ans. The claim is to be submitted within three months after the completion of treatment.

Q. By what mode will I receive my reimbursement?

Ans. The payment will be made in the bank account registered with REHS Cell through RTGS/NEFT/ECS.

Q. For any query related to submitted bills, amount of reimbursement, reason for deduction I restriction or other bill related query whom should I contact?

Ans. For queries related to submitted bills, amount of reimbursement, reason for deduction / restriction or other bill related query one can contact REHS Cell, C.O. at Phone No. 0129-2588908.